भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड

Security Printing and Minting Corporation of India Limited

मिनीरत्न श्रेणी-I, सीपीएसई
(भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन)

Miniratna Category-I, CPSE
(Wholly owned by Government of India)

YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/14/18/ 1928 — दिनांक 26.06.2019
SPMCIL/VIG/14/18/ — Date 26.06.2019

परिपत्र संख्या 09/19/Circular No. 09/19

विषय/Sub: बिडस् में सुधार / प्रविष्टि / ओवरराइटिंग को हस्ताक्षरित ना करने के संदर्भ में। /Corrections/insertions/overwriting in Bids not initiated –reg.

खरीद-पुस्तिका के अनुच्छेद 8.9.2 (x) के अनुसार, 'निविदाकारों द्वारा निविदाओं में किए गए परिवर्तन/ओवरराइटिंग/व्हाइटनर का उपयोग/ छोड़े गए कॉलमों यदि कोई हो, को तिथि और समय सहित निविदा खोलते समय ही निविदा खोलने वाले अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षारित किया जाना है के जिससे यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाए कि इस तरह के परिवर्तन खोलने के समय निविदाओं में पहले से ही मौजूद थे।' परन्तु सीटीई के दौरन, यह पाया गया है कि इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। सक्षम प्राधिकारी ने इन अनियमिमताओं को गंभीरता पूर्वक लिया है।

As per clause 8.9.2 (x) of Procurement Manual, 'Alterations/ overwriting/ use of whitener/ columns left unfilled in tenders, if any, made by the tenderers, shall be initialed with date & time and numbered by the officials opening the tenders to make it perfectly clear that such alterations were present on the tenders at the time of opening.' But during CTEs, it is found that these guidelines are not being followed. Competent Authority has viewed this lapse seriously.

2. इस संदर्भ में, सभी संबंधितों को एतद् द्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि खरीद-पुस्तिका के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। यदि भविष्य में इन दिशा-निर्देशां का उल्लंघन जारी रहता है तो इसे प्रथम दृष्टया दिशा-निर्देशां का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा तथा इसे सतर्कता की दृष्टि से देखा जाएगा।

2. In this regard, all concerned are hereby advised to ensure that all the clauses of Procurement Manual are being followed by the unit. If these guidelines continues to be flouted in future, it will prima-facie indicate a clear violation of guidelines and may invite vigilance angle.

-पृष्ठ संख्या 2 पर जारी - /-Contd. at Page 2-

सुनील तिवारी

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि./सतर्कता/14/18/ १९२८ दिनांक 26.06.2019

SPMCIL/VIG/14/18/ Date 26.06.2019

३. इस परिपत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए तथा सभी संबंधितों को जानकारी दी जाए। इसे इकाई की बेवसाइट पर भी डाला जाए तथा विभागीय सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए।

3. The widest possible publicity should be given to this circular and all concerned should be informed. It should also be uploaded on the website of the unit & displayed on the sectional notice board.

४. इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

4. This issues with the approval of Competent Authority.

सुनील तिवारी 26.6.19

(सुनील तिवारी)/(Sunil Tiwari)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/Dy. CVO

महाप्रबंधक/The General Manager,

टकसाल/मुद्रणालय/कागज़ कारखाना/Mints/Presses/Paper Mill,

भा.प्र.मु.मु.नि.नि.लि.।/SPMCIL.

प्रतिलिपि/CC:

1. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक।/CMD.
2. मु.स.अ./निदेशक(तकनीकी/मा.स./वित्त)/CVO/Director (Tech/HR/Fin).
3. अपर महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/मुख्य प्रबंधक/प्रबंधक (नि.मु.)/ AGM/DGM/CM/Mgrs (CHO).
4. सभी सतर्कता अधिकारी/All Vigilance Officials.
5. सूचना पटल एवं वेबसाइट/Notice Board & Website.